

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,  
अपर मुख्य सचिव  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मेडिकल कालेज, आगरा एवं चिकित्सालय के ओल्ड सर्जरी भवन के जीर्णोद्धार/रिनोवेशन हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मेडिकल कालेज, आगरा एवं चिकित्सालय के ओल्ड सर्जरी भवन के जीर्णोद्धार/रिनोवेशन हेतु रू0 413.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 165.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-108/2016/352/71-1-2016-जी-93/2016, दिनांक 31-03-2016 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त अवमुक्त धनराशि रू0 165.50 लाख कतिपय कारणों से आहरित नहीं की जा सकी। पुनः शासनादेश संख्या-131/2016/1445/71-1-2016-जी-93/2016, दिनांक 25-05-2015 द्वारा उक्त धनराशि रू0 165.50 लाख अवमुक्त की गई।

2- इस विषय में आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/834, दिनांक 27-01-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, आगरा एवं चिकित्सालय के ओल्ड सर्जरी भवन के जीर्णोद्धार/रिनोवेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 6,42,000/- (रू0 छः लाख बयालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
- 2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- 3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
- 4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
- 5- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19-10-2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग सुनिश्चित किए जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा० अनिता भटनागर जैन)

अपर मुख्य सचिव

संख्या:-30/2017/241(1)/71-1-2017 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
- 4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- नियोजन-अनुभाग-4
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( जयवीर सिंह )

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।